न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः—93 / 2024
जी.सी.एम.एस नं.—2024 / 188

खैर मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन (माता का नाम अमीरा बेगम) जाति मुसलमान साकिन वार्ड नं.—21 हाल वार्ड नं.—11, 24 एएस—सी, नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———**वादी**

बनाम्

1. मोहम्मद हुसैन पुत्र मोहम्मददीन (माता का नाम अमीरा बेगम) जाति मुसलमान साकिन वार्ड नं.—21 हाल वार्ड नं.—11, 24 एएस—सी, नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. फलकशेर पुत्र मोहम्मददीन (माता का नाम अमीरा बेगम) जाति मुसलमान साकिन वार्ड नं.—21 हाल वार्ड नं.—11, 24 एएस—सी, नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. नेका पुत्री मोहम्मददीन (माता का नाम अमीरा बेगम) जाति मुसलमान साकिन वार्ड नं.—21 हाल वार्ड नं.—11, 24 एएस—सी, नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. सुभाना पत्नी तुफैल मोहम्मददीन जाति मुसलमान साकिन वार्ड नं.—21 हाल वार्ड नं.—11,24 एए—सी, नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. जबैर खान पुत्र तुफैल पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान साकिन वार्ड नं.—21 हाल वार्ड नं.—11, 24 एएस—सी, नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. सलमान पुत्र तुफैल पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान साकिन वार्ड नं.—21 हाल वार्ड नं.—11, 24 एएस—सी, नई मण्डी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

———**प्रतिवादीगण**

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

वकील उपस्थित—
1. श्री रामसिंह कचूरा एडवोकेट वादी की ओर से
2. श्री शंकरलाल एडवोकेट प्रतिवादी सं.—1 व 3 की ओर से
3. श्री दिनेश कुमार कामरा प्रतिवादी सं.—2 की ओर से

—:: निर्णय ::— **दिनांकः—** 22/1/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि चक 10 एच तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—22 का पत्थर नं.—61 / 59 का किला नं.—1 ता 10 की कुल भूमि 2.530 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि में से स्व. रानी पुत्री अमीरा [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं.—1 ता 6 को खातेदार कृषक घोषित कर एवं स्व. तुफैल [illegible] का विरास्तन इन्तकाल प्रतिवादी सं.—4 ता 6 के नाम से दर्ज कर [illegible] विधिवत डिक्री पारित कर घरेलू बंटवारा अनुसार वादी के नाम वाके चक 10 [illegible] मुरब्बा नं.—22 का पत्थर नं.—61 / 59 का किला नं.—1 व 2 की कुल भूमि [illegible] मय खाला कृषि भूमि खाता विभाजन कर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.05 17:06:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं.—1 ता 7 को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी सं.—1 व 3 की तरफ से श्री शंकरलाल एडवोकेट व प्रतिवादी

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सं.–2 की तरफ से श्री दिनेश कुमार कामरा एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 ने **प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी** पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा विवादित भूमि के तथाकथित घरेलू बंटवारा बताते हुऐ विवादित भूमि के तथाकथित घरेलू बंटवारा अनुसार बंटवारा की विधिवत डिक्री पारित कर घरेलू बंटवारा अनुसार वादी के नाम वाके चक 10 एच के प.सं.–61/59 मु.नं.–22 के किला नं.–1 व 2 की कुल 0.506 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कृषि भूमि खाता विभाजन कर दर्ज राजस्व रिकार्ड किए जाने के सम्बधं में उपरोक्त अनवान सदर का वाद पत्र प्रस्तुत कर विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। वादी द्वारा कथित घरेलू बंटवारा को आधार बनाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया है जबकि वादी ने ऐसा कोई कथित घरेलू बंटवारा का लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है तथा ना ही वादी ने अपने वाद पत्र में यह कंही वर्णित किया है कि कथित घरेलू बंटवारा कब, किस दिनांक, सन को किन पक्षकारो के मध्य निष्पादित किया गया और ना ही वादी ने यह कथन किया कि कथित घरेलू बंटवारा में किस पक्षकार द्वारा वादी को किला नम्बर का कब्जा दिया गया है जबकि वादी का कथित किलो पर कब्जा नहीं है कब्जा के आभाव में वादी किसी तरह से घोषणा व विभाजन का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप वादी का वाद पत्र व वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजुदा स्टेज पर काबिल निरस्ती के है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोई भी बंटवारा का दस्तावेज विधिवत निष्पादित होकर सक्षम प्राधिकार से पंजीकृत होना आवश्यक है अथवा सक्षम न्यायालय से बंटवारा की डिक्री प्राप्त की जानी आवश्यक है लेकिन वादी ने कथित घरेलू बंटवारा किस विधि व किस कानून के तहत लिखा गया के बारे में कोई स्पष्ट कथन नहीं किए है ऐसी स्थिति में भी वादी का वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण मौजुदा स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। कृपा

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन कि प्रार्थना पत्र में वादी के वाद पत्र में बंटवारा के अधिकारों के विरोध में गैर कानूनी तथ्य अंकित कर वाद पत्र की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से दर्ज की गई होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि वादी एवं प्रतिवादी आपस में रिश्ते में भाई बहन होने के कारण आपसी वैश्वासिक रिश्तों के कारण घरेलू बंटवारा मौखिक तौर पर किया गया जो आज तक अस्तिव में है और घरेलू बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण की माता के जिवित रहते आज से करीब 15 वर्ष पूर्व से किया गया था जो आज भी र्निविघन चला आ रहा है जिसमें अब प्रतिवादीगण बाधा उत्पन्न करने की फिराक में है। वादी एवं प्रतिवादीगण की माता ने अपने जिवित रहते वादी को चक 10 एच के पत्थर नम्बर 61/59 मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1 व 2 सालम–सालम का मौखिक बंटवारा कर वादी को कब्जा काश्त सौंप दिया गया था और अन्य रकबा प्रतिवादीगण को कब्जा काश्त घरेलू बंटवारा अनुसार सौंप दिया गया था जिसके आधार पर वादी द्वारा वाद पत्र पेश किया गया है और वादी अपने कब्जाशुदा रकबा का विधिवत बंटवारा करवाने का अधिकारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कहीं आवश्यक नहीं है कि लिखित बंटवारा के पंजीकरण के बिना वादी रकबा के बंटवारा का वाद पत्र पेश नहीं कर सकता जबकि वादी बिना लिखित पंजीकृत बंटवारा के अपने हिस्सा के रकबा की भूमि के बंटवारा की डिक्री प्राप्त कर सकता है। जो [illegible] विधि सम्मत है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.05 17:06:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। वादी/प्रार्थी के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं.–2 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि इस प्रकार का वाद कोई भी बंटवारे का दस्तावेज विधिवत निष्पादित होकर सक्षम प्राधिकार से पंजीकृत होना आवश्यक है अथवा सक्षम न्यायालय से बंटवारा की डिक्री प्राप्त की जानी आवश्यक है लेकिन वादी ने कथित घरेलू बंटवारा किस विधि व किस कानून के तहत लिखा गया के बारे में कोई स्पष्ट कथन नहीं किए है वादी का वाद पोषणीय नहीं है तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादी का वाद पूर्णतया Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो पोषणीय नहीं हैं तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नही है। वादी का वाद पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली में प्रतिवादी सं.–2 ने विवादित कृषि भूमि मे ऐसा कोई कथित घरेलू बंटवारा का लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही वादी ने अपने वाद पत्र में कंही वर्णित किया है कि कथित घरेलू बंटवारा कब, किस दिनांक, सन को किन पक्षकारो के मध्य निष्पादित किया गया और ना ही वादी ने यह कथन किया है। कि घरेलू बंटवारा में किस पक्षकार द्वारा वादी को किस किला नम्बर का कब्जा दिया गया है जबकि वादी का कथित किलो पर कब्जा नहीं बताया है। वादी का हस्तगत वाद पूर्णतया Frivolous And Vexatious एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण एवं वाद के विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी सं.–2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादी सं.–2) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार जाकर वादी का वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 22/1/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.02.05 17:06:08 IST
Reason: SelfAttested